सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

..6.18

आज यह पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत
अटल सेवा केन्द्र गढ़ी-चरौला पर पेश
हुई। ILR वसीमो द्वारा इस आशय की
रिपोर्ट पेश की है कि अप्रार्थीगण धोलू व
बसन्ता का देहान्त हो चुका है। मृतक
के वारिसान रमेश व राजवीर पुत्रगण
धोलू एवं शेरसिंह, भगवान दास, रामविलास
पुत्रगण बसन्ता बुलाये गये जिनमें से रमेश
उप० आया। सिविल न्यायालय धौलपुर में
विचाराधीन प्र०क० 27/1992 के बारे में रमेश
से जानकारी चाही गई तो उसने बताया कि
इस मुकदमा के बारे में हमें कोई जानकारी
है और ना ही हम कभी तारीख पेशी पर गये
है। पत्रावली के अवलोकन करने से यह तथ्य
सामने आया है कि अप्रार्थीगण पर एक-एक
हजार रुपये कुल 2000 हजार रुपये जुर्माना
लगाया गया था जिसमें से दिनांक 23.11.2000
को धोलू द्वारा 200 रुपये तथा बसन्ता द्वारा
500 रुपये जरिये रसीद वसूलदार के मार्फत
जमा कराये गये तथा शेष राशि 1300 रुपये
उरवानी वसूली सरकार बनाम भल्ली, भूरे
लाल प्र० क० 8/2009 निर्णय दिनांक 1.1.17
की भाड़िया एवं लकड़ी की राशि 1075 रुपये
की राशि के साथ चालान दिनांक 3.11.16

गये

पेश

लफ्ट
पेश

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व ता... अहकाम जा... हुक्म की तामी... में जारी हुये
	से कुल राशि 2475 ~~1600~~ रुपये जमा कराई गई है। चालान प्रति में दोनों ही प्रकरणों का उल्लेख है। सरकार बनाम लक्ष्मी छुरेलाल के निर्णय की प्रति पत्रावली पर संलग्न है जिसमें भी इसका उल्लेख किया गया हुआ है। इस प्रकार अर्थ राशि कुल 2000 हजार रुपये जमा कराई जा चुकी है। लगभग 26 साल से लकड़ी मौके पर उपलब्ध नहीं है। लकड़ी नहीं होने के अभाव में अब कोई कार्यवाही किया संभव नहीं है। अर्थ राशि वसूली के शेष नहीं है। अतः कार्यवाही ड्रॉप की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर)	